रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 1988/माघ 12, 1909
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 1988/MAGHA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1988

अधिसूचना

सा० का० नि० 70(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन के उप नियमों मे उक्त संशोधन का, जो कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए किया जान है और जो कलकत्ता राजपत्र, असाधारण मे 19 जून, 1986 और 26 जून, 1986 को प्रकाशित हुआ था और जैसा कि इस अधिसूचना के परिशिष्ट मे निर्दिष्ट है, अनुमोदन करती है ।

2 उक्त संशोधन इस अधिसचना के सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[सख्या पी आर-16013/1/87-पीजी]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 1st February, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. No. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the amendment to Bye-Laws, of the Port of Calcutta proposed to be made by the Board of Trustees of Calcutta Port in exercise of the powers conferred on them by section 123 of the

said Act and published in the Calcutta Gazette, Extraordinary, dated the 19th June, 1986 and the 26th June, 1986 and as set out in the Schedule to this notification.

2. The said amendment shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-16013|1|87-PG]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

परिशिष्ट

कलकत्ता पत्तन न्यास

महत्वपूर्ण लदे हुए कन्टेनर के सन्दर्भ में "मोहरबंद स्थिति" संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना—उप नियमों में संशोधन।

अधिसूचना सं. 440

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसरण में उपनियम सं. 55 के निम्नलिखित परिवर्धन को जिसे कि कलकत्ता पत्तन के न्यासियों का मंडल कलकत्ता पत्तन के उपनियमों में समाविष्ट करने का प्रस्ताव करता है, सामान्य सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उप नियम सं. 55 में परिवर्धन

उप नियम सं. 55ग—महत्वपूर्ण कन्टेनरों में निहित कार्गो की रसीद—न्यासी कार्गो को न तो अपनी कस्टडी में लेंगे न ही उसके लिये कोई रसीद देंगे और किसी भी जहाज से कन्टेनरों में उतारे गये किसी भी सामान अथवा कार्गो के सम्दर्भ में किसी रूप में भी जिम्मेदार नहीं होंगे सिवाय उस स्थिति के कि जब जहाज के मास्टर, मालिक अथवा एजेंट द्वारा इस प्रकार का सामान कन्टेनरों से निकाला जाये और ट्रैफिक मैनेजर अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित ट्रांजिट शेड अथवा वेयर हाउस में सीधे प्राप्त किया जाये।

न्यासियों के आदेशानुसार

ह./-
(पी० एन० सेन)
कृते सचिव

SCHEDULE

CALCUTTA PORT TRUST

Issue of "Sealed condition" certificate in respect of important leaded container—amendment of Bye-laws.

NOTIFICATION NO. 440

In accordance with the provision of sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the following addition to Bye-law No. 55, which the Board of Trustees of the Port of Calcutta propose to incorporate in the Bye-laws of the Port of Calcutta, are hereby published for general information :

Addition to Bye-law No. 55

Bye-law No. 55 C—Receipts for cargo contained in imported containers—The Trustees shall not accept custody of nor give any receipt for nor be responsible in any manner whatsoever in respect of any goods or cargo landed from any vessel in containers, except when such goods are unstuffed from the containers by the Master, Owner or Agent of the vessel and directly received in a transit shed or a warehouse assigned for the purpose by the Traffic Manager or his authorised Officers".

By Order of the Trustees,

Sd|-
P. N. SEN, For Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988